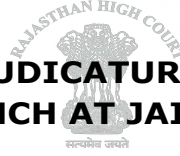




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13508/2025

Chandrashekhar @ Pintu S/o Mohansingh @ Mohani, Aged About 27 Years, R/o Babain, Police Station Kumher, District Deeg. (At Present Confined In Jail, Deeg).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. N.C. Sharma Ms. Muskan Bhurat
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 341, 302, 427 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।



वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में पीडब्ल्यू 1 शिवानी, पीडब्ल्यू 2 ललिता, पीडब्ल्यू 3 श्रीमती राजन देई पीडब्ल्यू 4 कोमल, पीडब्ल्यू 5 सुमित, पीडब्ल्यू 6 बंटी कोई साक्ष्य नहीं देते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। सहअभियुक्त जगवीर सिंह उर्फ जग्गो का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12403/2025 आदेश दिनांक 09.10.2025 को स्वीकार किया गया है। अन्य सहअभियुक्तगण भगवानस्वरूप उर्फ बन्टू का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5129/2024 आदेश दिनांक 20.08.2024 तथा राजीवर उर्फ राजू व मनोज का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14084/2022 आदेश दिनांक 13.12.2022 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **चन्द्रशेखर उर्फ पिंटू पुत्र मोहनसिंह उर्फ मोहनी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J